हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

दशम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 92

वीरवार, 4 दिसम्बर, 2025/13 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(1) **तारांकित :**

तारांकित प्रश्न संख्या : 3393 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 3766, 3768, 3769 व 3770 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मा0 मुख्य मन्त्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3449 (स्थगित) पर माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

मा0 मुख्य मंत्री ने अवगत करवाया कि सूचना अभी एकत्रित की जा रही है तथा कहा कि इस प्रकार का प्रश्न इसी विधान सभा सत्र में चौथी बार आ गया है। इसलिए वे अध्यक्ष महोदय से चाहेंगे कि एक ही प्रकार के प्रश्नों को आपस में जोड़ कर एक ही प्रश्न के रूप में रखना चाहिए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"These are postponed questions, but we will try that next time एक ही सब्जैक्ट मैटर के ऊपर जो प्रश्न होंगे चाहे वे स्थगित प्रश्न हों या तारांकित प्रश्न हों, we will fix them up in a tagged manner."

तारांकित प्रश्न संख्याः 3463 के उत्तर पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई। अतः कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3765 के उत्तर पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के दौरान **माननीय अध्यक्ष महोदय** ने निम्नलिखित व्यवस्था दीः-

"Aspersion on the Vidhan Sabha Secretariat will not be a part of the record."

तारांकित प्रश्न संख्याः 3767 पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।
तारांकित प्रश्न संख्या : 3771 से लेकर 3805 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित :**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1520 से 1537 तक के उत्तर सभापटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

माननीय मुख्य मंत्री ने मा0 सदस्य श्री विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या : 3767 के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वह उनकी निजी यात्रा थी जब वे अपनी बेटी की एडमिशन के लिए लंदन गए थे। उन्होंने कोई भी व्यय सरकारी खर्चे से नहीं किया बल्कि अपने निजी खर्चे से यात्रा की है। चाय से लेकर खाने तक सभी की पेमैंट ऑनलाइन की है। जब सब विधायकों के परिवार यात्रा पर जाते हैं तो वे भी अपने पैसे खर्च करें। हालांकि, एम0एल0ए0 फंड से भी हम बाहर जा सकते हैं। मैंने उसका भी सदुपयोग नहीं किया। वहां पर आने-जाने व रहने इत्यादि का सारा खर्चा अपने निजी पैसों से किया है। इस बात को वे स्पष्ट करना चाहते हैं।

मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने पिछले कल जोरावर स्टेडियम में जो लाठीचार्ज हुआ था और मुख्य मंत्री जी ने सदन में बात कही थी कि उनको (ए0बी0वी0पी0) परमिशन नहीं थी, के संदर्भ में विषय सदन में रखा। उन्होंने बताया कि उनके पास एस0डी0एम0 की चिट्ठी है। एस0डी0एम0 की ओर से एस0एच0ओ0 को चिट्ठी गई और उसमें मार्च निकालने की उन्हें पूरी परमिशन दी गई है। वे

(ए0बी0वी0पी0 के कार्यकर्ता) मार्च करते हुए टैक्सी स्टेंड से जोरावार स्टेडियम की ओर आए। उन्हें मार्च करते वक्त रोका गया और उसके बाद उन पर लाठी चार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज में बच्चों की टांगे टूटी और उनके सिर भी फूटे हैं जोकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है।

दूसरा, शिमला में पिछले कल दृष्टिबाधित लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक महिला अधिकारी ने उन्हें डांटकर कहा कि वे मुख्य मंत्री के खिलाफ नारे नहीं सुन सकते। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राजभवन के सामने माननीय प्रधान मंत्री जी के पुतले को लाते मारी गईं और उसके बाद उस पुतले को जलाया गया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए, क्या वे नारे उन अधिकारियों को अच्छे लगते थे! आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? यह भी एक चिंता का विषय है। यह हो सकता है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ किसी अधिकारी को नारे अच्छे न लग रहे हों लेकिन क्या इस बात को सार्वजनिक रूप से बोलना उचित है? पिछले कल परमिशन मिलने के बावजूद भी यह कहा गया कि बच्चों को जोरावार स्टेडियम में आने की परमिशन नहीं दी गई थी इसलिए वे इस बात के विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

(12.07 **बजे अपराह्न विपक्ष के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

उक्त विषय पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं रिकॉर्ड स्पष्ट कर दूं। कल भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उनको मार्च पास की परमिशन दी गई थी। यद्यपि उन्होंने सड़क पर बैठकर बाधा पहुंचाई और लोगों को आने-जाने से रोका इसलिए पुलिस ने उन पर एक्शन लिया।

माननीय मुख्य मंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि जब वे (ए0बी0वी0पी0) जोरावार स्टेडियम से विधान सभा की तरफ बैरिकेड्स तोड़ कर आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस से उनकी हाथापाई हुई। उन्हें टैक्सी स्टैंड से जोरावर स्टेडियम तक किसी ने नहीं रोका। वे साढ़े तीन घंटे तक ट्रैफिक जाम करते रहे। जोरावर स्टेडियम से बाहर निकलकर उन्हें सड़क रोकने के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई थी। उन्हें विधान सभा तक मार्च करने की कोई परमिशन नहीं थी। विधान सभा के रास्ते पर बैरिकेड्स लगे हुए थे जिन्हें हटाते हुए हाथापाई हुई। विपक्ष के सदस्य इस आधार पर रैली में जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं जोकि गलत बात है। ये लोग राजनैतिक लाभ लेने के लिए यह सारी कोशिश कर रहे हैं।

शून्यकाल

(1) श्री बलबीर सिंह वर्मा - अनुपस्थित।

(2) श्रीमती रीना कश्यप - अनुपस्थित।

(3) **माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार** ने प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों का विषय माननीय सदन में रखा, जिनके पिछले कई वर्षों से पद भरे नहीं गए हैं। शारीरिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और ऐसे हजारों शिक्षक जोकि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे रोज़गार का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन शिक्षकों का होना बड़ा जरूरी है इसलिए प्रदेश सरकार शारीरिक शिक्षकों के पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरे ताकि शिक्षा का सही उद्देश्य पूर्ण हो सके।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This is a very important issue which have been brought before the august House by Hon'ble Member Shri Suresh Kumar ji. Definitely for more than three years, there are vacancies of Physical Education Teachers in the schools and these vacancies are to be filled up to provide physical education to the students. Therefore, we will ask the Department to fill these vacancies immediately. The reply will be sought from the Department and we will be conveying it to you and will be placing it on Table of the House and on the record of Vidhan Sabha also.

(4) श्री डी0एस0 ठाकुर - अनुपस्थित।

(5) श्री दीप राज - अनुपस्थित।

(6) श्री त्रिलोक जम्वाल - अनुपस्थित।

(7) श्री लोकेन्दर कुमार - अनुपस्थित।

(8) **श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक** ने एक महत्वपूर्ण विषय शून्यकाल के दौरान माननीय सदन के ध्यान में लाया कि श्री रोशन लाल जी जो उनके क्षेत्र ठम्बा का रहने वाला है। पिछले कल उसकी डाडासीबा में 50 बकरियों की मौत हुई है। ऐसे ही इंदौरा के अंदर घटना हुई, वह बेसिकली कोठी का रहने वाला है। वह रेलू से आगे पठानकोट की तरफ गया। इसी तरह से ठिंगू राम उसका पशुधन भी कोटला से निकल रहा था तो उसकी भी 22 बकरियां मरी हैं। दो-तीन दिन से

यह एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है। वे चाहते हैं कि जिस वक्त गद्दी लोग नीचे को उतरते हैं तो उस वक्त उनके पशुधन के लिए दवाइयों का रख-रखाव किया जाए। एक स्पेशल टीम वहां जाए जहां-जहां भी ये गद्दी भाई जा रहे हैं ताकि यह महामारी आगे न बढ़े।

उक्त विषय पर माननीय कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी ने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर वे पशुपालन विभाग के डॉक्टर्ज से कहेंगे कि जहां-जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन्हें तुरंत देखें कि कहीं यह कोई भयानक बीमारी तो नहीं है जिससे पशुधन को नुकसान हो रहा है। इसे सरकार बड़ी तत्परता से लेगी और वैक्सीनेशन और दूसरी सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(9) डॉ0 जनक राज - अनुपस्थित।

2. कागज़ात सभा पटल परः

श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योनिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा-45(4) के अन्तर्गत चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन :

श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक ने **कार्य- सलाहकार समिति का 15वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** सभा में उपस्थापित किया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

4. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21)" पारित हुआ।

(2) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-2 से 70 तक विधेयक का अंग बने।

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23)" पारित हुआ।

5. गैर-सरकारी सदस्य कार्यः

"संकल्प"

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

"चूंकि आज वीरवार है और Private Members' Day है। इस कारण अब गैर-सरकारी सदस्य कार्य होगा। दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प - "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा खेल नीति बनाने पर विचार करे" पर आगे चर्चा होगी। इस चर्चा को माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल इनिशिएट करेंगे। He is absent, so this Resolution is dropped.

अब आज की कार्यसूची में शामिल संकल्पों पर चर्चा होगी। जिसमें पहला संकल्प माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल का है। He is also absent so this Resolution is dropped.

अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। He is also absent so this Resolution is dropped.

अब माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। He is also absent so this Resolution is also dropped."

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से विषय उठाते हुए कहा कि इस वर्ष व वर्ष 2023 में भारी बाढ़ आई जिसके कारण इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के कारण भी काफी नुकसान हुआ। इस बार इन्दौरा टाउन में तारा खड्ड के पानी का बहाव आ गया और घरों में घुस गया। ईश्वर की कृपा से वहां पर किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह घटना दिन के समय में हुई थी। वहां पर लोगों के घरों का सामान और दुकानों व व्यावसायिक संस्थानों का काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ मण्ड के निचले क्षेत्र में भी इस बार भारी बाढ़ के कारण सड़कों, पुलों और बगीचों तथा कृषि भूमि को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति बन गई है कि मंड मैणी से पराल तक तीन-चार जगह पुल बनाने की जरूरत पड़ गई है। ब्यास नदी ने वहां पर अपना स्थान मोड़ा है। मा0 मुख्य मंत्री जी एवं राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि उनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, इंदौरा में चाहे इंदौरा नगर है, चाहे निचले क्षेत्र मिन्वा, धमोता, मंडमैनी, मंड-स्नोड, मंड-घंडरान, मंड-मलकाना हैं, जहां लोगों का नुकसान हुआ है, उसका स्टीक आकलन करवाया जाए और इनके लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया जाए। इसके अलावा मेन माज़रा के एयरपोर्ट का रोड चक्की खड्ड में बाढ़ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बार मलोट के इंडस्ट्री एरिया, जिसमें बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, उसमें छौंज खड्ड का पानी घुस गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इसके लिए भी उनके विधान सभा क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज घोषित किया जाए ताकि लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग की योजनाएं पुनः कार्यान्वित हो सकें तथा लोगों की शीघ्र सहायता मिल सके।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी ने एक गम्भीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। यद्यपि इनसे यह प्रस्ताव नियम-130 के अंतर्गत भी प्राप्त हुआ था लेकिन यह विषय आज के बिजनेस में लिस्टिड नहीं हो पाया। आपने यह विषय व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया है। विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और आपका कंसर्न संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा तथा कृत कार्रवाई से आपको और विधान सभा सचिवालय को भी अवगत कराया जाएगा।"

12.30 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक शुक्रवार, 05 दिसंबर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****